सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 83/19 **निर्णय दिनांकः–31–07–2019**

1. दर्शन सिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख निवासी गांव मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 25–07–1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 25–07–1998 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर निलामी में उपस्थित नहीं होने के कारण खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 1 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 78/57 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष

आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सक्षम मानते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र आवंटन हेतु निलामी में रख दिया गया। तत्पश्चात् अपीलांट को कोई सूचना अथवा नोटिस प्रदान किये अपीलांट का प्रार्थना पत्र निलामी में उपस्थित नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट द्वारा वर्ष 1997 में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर आवंटन सलाहकार समिति की बैठक कैम्प पूगल में रखी गई। इसमें सलाहकार समिति की कोई तारीख पेशी नहीं दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 30—05—1998 को पत्रावली पेशी में ली गई जिसमें निलामी की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई थी। इसके पश्चात् दो पेशियों में कोरम पूरा नहीं होने के कारण पत्रावली में तारीख पेशी दी जाती रही। इसके उपरान्त दिनांक 25—07—1998 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र निलामी में भाग नहीं लेने के कारण खारिज कर दिया गया।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—07—1998 के विरूद्व अपील दिनांक 27—03—19 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र निलामी में उपस्थित नहीं आने के कारण खारिज किया जा चुका है व अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि अन्य को निलामी में आवंटित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—07—1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 27—03—2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा एवं आवेदक की पीठ पीछे पारित किया गया है व वर्षो तक आवेदक को सूचित नहीं किया गया। पत्रावली विभिन्न कार्यालयों में अन्तरित होती रही जिसके कारण दस्तावेजों की नकल विलम्ब से प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा विलम्ब के कारण संतोषजनक होने के कारण विलम्ब को शमन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट दर्शनसिंह द्वारा दिनांक 26—12—1996 को आवंटन हेतु दरखवाश्त पेश की गई व अरनेस्ट मनी जमा होने पर पत्रावली प्रोग्रेस में ली गई। दिनांक 30—05—1998 कमो आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन निलामी द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया, परन्तु भूमि के मूल्य की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु न तो आवेदक को सूचित किया गया तथा न ही आगामी सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। तत्पश्चात् अकस्मात् दिनांक 25—07—1998 को आवेदक को अनुपस्थित बताकर आवेदन खारिज कर दिया। उक्त एकतरफा कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, पूगल तथा

जिला रिकार्ड रूम में भिजवा दी गई, परन्तु आवेदक को किसी भी कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई। आवंटन अधिकारी का उक्त निर्णय एकतरफा एवं मनमाना होने के कारण अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—07—1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पात्रता के आधार पर आवेदन पत्र का नये सिरे से निस्तारण करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15—07—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर